


12/11/21

पत्रावली का प्रशासन गांव के दंगल के समय
जोमिन्दपुरा में पेश हुई प्रकरण में गांव पंचायत
जोमिन्दपुरा एवं तहसीलदार पिडावा से जांच
रिपोर्ट प्राप्त हुई जो 20.06.2004 दिनांक 17.06.2004
रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि गांव
घाटाखेडी में पूरा पि. रामा बागरी नाम के
दो आर्चे हैं जिनमें से एक जीवित है व एक
की मृत्यु हुई है। प्रशासन आपके द्वारा दिनांक
दिनांक 29.11.2004 में दर्ज व तहसील पिडावा में
गांव सं. 124 व 126 में दोनो आर्चे पूरा पि.
रामा बागरी का फोती गांव. दर्ज कर दिनांक 17.06.2004
जबकि गांव घाटाखेडी की काराजी सं. 209
का खातेदार पूरा पि. रामा बागरी जीवित है।
पिडावा फोती गांव सं. 124 गलत तहसील पिडावा
गांव जो गिरस्त होने योग्य है।

गांव घाटाखेडी का नाम सं. 126 का खातेदार
फोती होने से गांव. सही तहसील पिडावा गांव

पत्रावली का अवलोकन पिडावा गांव एवं
मजमे काम में जांच की गई गांव सं. 124
में दर्ज काराजी सं. 209 का खातेदार पूरा पि.
रामा के जीवित होते से गांव घाटाखेडी



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म में ज
	<p>का नाम से. 124 निरस्त किया जा रहा है तहसीलदार पिडावा को इस आशय की तहरीर जारी की जावे कि ग्राम सादायेठी की कारागीर स. नं. 209 रकबा 4-01 बीघा शामिल में से रेपोडेक्ट के नाम एकाद शुद्धि अपीलार्ड पुरा वि. रामा काशी के नाम इन की जावे। पत्रावली केवल शुद्धि होकर दायरे दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सन्तोष कुमार मीना) उपरान्त अधिकारी पिडावा जिला झालावाड प्रशासन गांव के संग 2021 </p>	

